श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त– संगठन

मैनुअल– 12

श्रमायुक्त– संगठन में अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, केन्द्र पुरोनिधानित बंधुवा श्रमिक पुनर्वास योजना

Scanned with OKEN Scanner

मैनुअल –12

अनुदान/राज्य सहायता कार्यकमो के क्रियान्वयन की रीति केन्द्र पुरोनिधानित

Central Sector Scheme for Rehabiltation of Bonded Labour-2026

कार्यक्रम /योजना का नाम :–

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र योजना–2016(संशोधित योजना 2026)

योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :–

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2026 के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार यह योजना श्रम मंत्रालय की 'श्रम कल्याण योजना' की एक उपघटक योजना है और यह दो वित्तीय वर्षों (2026–27 से 2027–28) तक जारी रहेगी।

समय सीमा निर्धरित नही है। चूँकि सतत प्रकिया है जो कहीं भी किसी भी समय पैदा हो सकती है, जिसपर सतत निगरानी एवं निरन्तर चौकसी बरती जानी है।

योजना का उदेश्य :–

बंधुवा मजदूरों के पुर्नवास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना का उदेश्य बचाये गये बंधुआ श्रमिकों को व्यापक पुनर्वास और सहायता प्रदान करके भारत में बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करना है। यह वित्तीय सहायता, कौशल विकास और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करता है, जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम हो सके।

समाज में व्याप्त बंधुआ श्रम अभिशप्त सामाजिक बुराई, रूढ़ीवादी सामाजिक व्यवस्था एवं कुरूति को सतत प्रयासों, निरंतर चौकसी एवं जनजाग्रति पैदा कर समूल समाप्त करना तथा पीढ़ियों से शोषित इस निर्बल वर्ग का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास कर राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है।

योजना के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्षो में)

प्रदेश के 13 जनपदों में योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में योजना के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण प्रचार प्रसार, मूल्यांकन एवं शोध कार्य हेतु रू0 1 करोड़ 30 लाख की योजना भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत तथा चिन्हित बंधुआ श्रमिकों के पुर्नवास हेतु रू0

Scanned with OKEN Scanner

20 हजार प्रति श्रमिक (50:50) के केन्द्रांश एवं राज्यांश की अनुदान सहायता स्वीकृत, जिसमें रू0 1 लाख जनपद देहरादून के तथा 1 लाख जनपद चमौली के बंधुआ श्रमिकों को एवं 5 श्रमिकों को प्रति श्रमिक पुर्नवास सहायता प्रदत्त। योजना के प्रथम चरण में 88 जनपदों के देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, अल्मोड़ा एवं पिथैरागढ़ हेतु वित्तीय वर्ष 20003–04 में योजना के सर्वक्षण / चिन्हीकरण प्रचार प्रसार, मूल्यांकन एवं शोध की योजना मदों में 31 लाख की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत प्रदेश के 8 जनपदों में सर्वेक्षण /चिन्हीकरण प्रचार प्रसार, के कार्य योजना का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

<u>लाभार्थी की पात्रता :–</u>

समाज का वह शोषित वर्ग/व्यक्ति जिसका शारीरिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा हो पात्रता की श्रेणी में आते है।

पूर्वापेक्षायें :–

प्रदेश के विभिन्न भागों में बेगार, सागरी, हाली, हलिया, जीथम, दास, वाजगी, आदि नामों से प्रचलित बंधुआ श्रम प्रथा, श्रम बल के आधिक्य बेरोजगारी/आंशिक रोजगार, भूमि एवं अन्य संसाधनों का असमान वितरण, विवादग्रस्त प्रवास, न्यून मजदूरी, भूमिहीन एवं कतिपय सामाजिक रीति–रिवाजों के ऋण ग्रस्तता के कारण जनित निर्बल वर्ग।

<u>अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रकिया :–</u>

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2026 के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार यह योजना श्रम मंत्रालय की 'श्रम कल्याण योजना' की एक उपघटक योजना है और यह दो वित्तीय वर्षों (2026–27 से 2027–28) तक जारी रहेगी। प्रत्येक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के स्तर पर एक 'बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष' बनाया जायेगा, जिसकी प्रारम्भिक राशि कम से कम रूपया 10 लाख होगी और यह जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होगी।

मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर को जिला प्रशासन द्वारा तत्काल वित्तीय सहायता एवं अन्तिम पुनर्वास सहायता प्रदान की जायेगी। तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में रूपया 40,000/– तक की राशि दी जायेगी यह राशि बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से जिला मजिस्ट्रेट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांरण (DBT) द्वारा प्रदान करेगा और इसे अन्तिम पुनर्वास सहायता (FRA) में से काट लिया जायेगा।

अन्तिम पुनर्वास सहायता (FRA) की राशि निम्नानुसार होगी।

1– प्रति व्यस्क पुरूष लाभार्थी को रू0 1,000,00/–(एक लाख रूपये) प्रदान की जायेगी।

2– विशेष श्रेणी के लाभार्थियों, जैसे कि बच्चों (अनाथ बच्चों सहित), या संगठित व जबरन भीख मंगवाने वाले गिरोहों अथुवा अन्य प्रकार के जबरन बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों और महिलाओं के लिए रू0 2,000,00/–(दो लाख रूपये) प्रदान की जायेगी।

3– अत्याधिक अभाव या हाशिये के शिकार बंधुआ या जबरन मजदूरी के मामलों में – जैसे ट्रांस जैंडर व्यक्ति, स्पष्ट यौन शोषण (जैसे वेश्यालय, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसीयॉ आदि) से बचाई गई महिलायें और बच्चे, मानव तस्करी के शिकार लोग, दिव्यांग व्यक्ति या ऐसी स्थितियां जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे उनके लिये रू0 3,000,00/–(तीन लाख रूपये) प्रदान की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र योजना–2016(संशोधित योजना 2026) शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। उक्त योजना के अन्तर्गत पुनर्वास सहायता के लिये राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को कोई मिलान अंशदान (macthing contribution)देने की आवश्यकता नही है।

अनुदान सहायता के विवरण की प्रकिया :–

श्रमिक द्वारा चिन्हित नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक से।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्र0सं0	लाभार्थी का नाम	अनुदान की धनराशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास जिला	शहर	मोहल्ला / गॉव	मकान नं0

बंधुआ श्रम प्रभाग

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	कार्य/उन्हें तैयार/अनुपालन करने का तरीका	मानक	मानक नियम
1	बंधुवा श्रम	1. अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने कन्वेंशन सं0 29 बलात और बेगार को वर्जित किया गया है। इस कन्वेंशन की भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में स्वीकार किया गया है। परिणामस्वरूप बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है बंधुआ श्रमिकों की परिभाषा बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 2(जी) में दी गई है, जिसका संक्षेप में उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया जा रहा है। श्रमिक द्वारा लिये गये ऋण	बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम की धारा– 13 एवं 14 श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं पुर्नवासन कार्य हेतु जनपद/परगना स्तरीय सर्तकता समितयों के गठन किये जाने का प्रावधान है।	बंधुवा श्रमिक प्रथा(उन्मूलन) अधिनियम 1976 कर धारा –10,11 तथा 12 के अर्न्तगत जिला /उप मजिस्ट्रेट की भूमिका निदृष्ट है।

Scanned with OKEN Scanner

		अथवा ब्याज को चुकाने में किसी व्यक्ति के यहां बिना वेतन के अथवा अन्य वेतन पर कार्य करता है तो वह व्यक्ति साधारणतया बंधुआ श्रमिक की श्रेणी में आता है। अतः बंधुआ श्रम प्रथा मुख्यतः ऋणदाता एवं ऋण प्राप्त करने वाला सम्बंध दर्शाता है। ऐसे सम्बंध जहां पर विद्यमान है, श्रेणी अपनी सेवाएं तथा अपने परिवार के किसी सदस्य को सेवायें ऋणदाता के यहां निश्चित अथवा अनिश्चित समय के लिये प्रदान करते है, तो इसके निम्नलिखित परिणाम होते है। (1)– बिना वेतन की सेवायें अथवा नाममात्र की मजदूरी। (2)–वैकल्पिक रोजगार का निषेध। (3)– एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण निषेध। 2. उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश प्रसारित किए गये हैं। बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 10,11, तथा 12 के अर्न्तगत जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका निदृिष्ट है। इस अधिनियम की धारा 13 एवं14 श्रमिकों की पहचान; मुक्ति एवं पुर्नवासन कार्य हेतु जनपद /परगना स्तरीय सर्तकता समितियों के गठन किये जाने का प्रावधान है।		

Scanned with OKEN Scanner